भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 498359

संशोधित ट्रस्ट/न्यास डीड (दस्तावेज)

वंशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट

(पंजीकृत ट्रस्ट /न्यास डीड में संशोधन)

मैं आजाद सिंह पुत्र श्री रतन बहादुर सिंह ग्राम- गजाधरपुर, पोस्ट –गद्दोपुर , परगना- गढ़वारा, तहसील- बदलापुर, जिला –जौनपुर (उ० प्र०) का निवासी हूं मैं अपने हस्ताक्षर से वंशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का संशोधित डीड पंजीकरण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं। जो पूर्व में श्री रतन बहादुर सिंह पुत्र स्व० अम्बाराज सिंह ग्राम गजाधरपुर पोस्ट–गद्दोपुर परगना–गढ़वारा, तहसील–बदलापुर, जिला–जौनपुर, (उ० प्र०) द्वारा वंशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट/न्यास ग्राम गजाधरपुर, पोस्ट–गद्दोपुर , परगना–गढ़वारा, तहसील–बदलापुर, जिला–जौनपुर, का दस्तावेज बहैसियत प्रबन्धक/सचिव वंशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट अपने हस्ताक्षरों से वर्ष 2008 में रजिस्टर्ड कराया गया है। जिसमें आवश्यक संशोधन हेतु यह ट्रस्ट डीड प्रस्तुत है।

यह लोक कल्याणकारी एवं धर्मार्थ प्रेमी ट्रस्ट/न्यास का निर्माण एवं स्थापना 21 फरवरी सन् 2003 ई० को स्व० राय अम्बाराज सिंह पुत्र स्व० जगन्नाथ सिंह पूर्व अध्यक्ष द्वारा अपनी धर्म पत्नी वंशा देवी की स्मृति में किया गया था। इस न्यास/ट्रस्ट डीड (दस्तावेज) को वंशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट (वी. डी. सी.टी.) के नाम से रजिस्टर्ड किया गया है। यह ट्रस्ट/न्यास डीड दिनांक 12.04.2008 को पुस्तक सं० 01 के पृष्ठ 327/368 पर क्रम सं० 847/1303 कार्यालय उपनिबन्धक बदलापुर जौनपुर के द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह न्यास समाज के विभिन्न उद्देश्यों जैसे-शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य विकास, विज्ञान, नैतिक मूल्यों, कला, साहित्य, पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निरन्तर निर्वाह कर रहा है।

2. ट्रस्ट /न्यास की विधिक प्रतिबद्धता–

वंशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट/न्यास का रजिस्ट्रेशन इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत किया गया है। इस ट्रस्ट/न्यास पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उप नियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट एक्ट के लिए आवश्यक और न्यायिक विधि में व्यावहारिक तथा

Scanned with CamScanner

2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FK 498360

सिविभाज्य है। चन्दा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट उसके अनुपालन में प्रतिबद्ध है। ट्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा पूर्व में घोषणा की गयी है कि रुपया 10,000/– (दस हजार रुपये) से इस ट्रस्ट की स्थापना की गयी है तथा साथ में मौजा–गजाधरपुर परगना–मड़ियाहू तहसील–बदलापुर जिला जौनपुर में स्थित आराजी नम्बर 300/–04 डि0, 301/–11 डि0, 299/–3.5 डि0, व 403/–03 डि0 कुल्ला 4 गाटा/– 21.5 डिसमिल जमीन भी पूर्व में दी गयी है, जो कि न्यास/ट्रस्ट के न्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है और ट्रस्ट के नाम अंकित है। आगे यह घोषणा की जाती है कि जो भी दान, अनुदान, चाहे नकद (कण्ड) या सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगा, उसका उपयोग लोक कल्याणकारी कार्यों में, मानव भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जायेगा। प्राप्त अनुदान, दान की सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट को प्राप्त, या प्राप्त होगी उसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित होगा या बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा।

संस्थापक न्यासी/ट्रस्टी ने चन्दा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट (सी. डी. सी. टी.) के नाम उपरोक्त धनराशि सौंप चुका है और प्राप्त है तथा न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं संचालन के हेतु समर्पित है। न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों को संचालित करने के लिए नियुक्त प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट/न्यास पहले से ही अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है अब चन्दा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव पद पर ट्रस्टी समिति की बैठक दिनांक 28.04.2020 में पंजीकृत ट्रस्ट के क्रमांक 3 के कालम में राय अवधराज सिंह (अध्यक्ष) की मृत्यु हो गयी है उनके स्थान पर श्री श्याम बहादुर सिंह को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है तथा ट्रस्ट के रिक्त प्रबन्धक/सचिव के पद पर सम्मानित नाम श्री अजय सिंह पुत्र श्री श्याम बहादुर सिंह ग्राम– गजाधरपुर, पोस्ट– गद्दोपुर, परगना– मड़ियाहू, तहसील– बदलापुर, जिला– जौनपुर (उ0प्र0) को उत्तराधिकारी नियुक्त (मनोनीत) किया गया है व मुख्य ट्रस्टी श्रीमती कमला सिंह व श्री अरविन्द कुमार सिंह ने अपने–अपने पद से, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया है और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। इस वजह से मुख्य ट्रस्टी के रिक्त पद क्रमांक 4 व 5 पर क्रमशः श्रीमती रितिका सिंह पत्नी श्री अजय सिंह ग्राम– गजाधरपुर, पोस्ट– गद्दोपुर, परगना– मड़ियाहू, तहसील– बदलापुर, जिला– जौनपुर (उ0प्र0) व श्री स्वास्तिक कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम बहादुर सिंह ग्राम– महेन्द्रपुर, पोस्ट– तेजीबाजार, तहसील– सदर, परगना– राढ़ी, जिला– जौनपुर (उ0प्र0) को

AS/h

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FK 498361

उत्तराधिकारी नियुक्त (नामांकित) किया गया है। और वैधानिक [illegible] /– रुपये (दस हजार रुपये) से अपना वाजिबाना अधिकार प्राप्त है। न्यास/ट्रस्ट के समुचित एवं [illegible] सुरक्षा की दृष्टि से प्रबन्धक /सचिव की नियुक्ति की गयी है। न्यास/ट्रस्ट को औपचारिक दस्तावेज को क्रियान्वित करने के लिए यह समझा जाता है कि न्यास/ट्रस्ट निश्चित शर्तों के साथ प्रबन्धक/ सचिव को अपना अधिकार प्रदान करती है।

न्यास/ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा इस दस्तावेज की गवाहों के समक्ष निम्न लिखित रूप से घोषित की जाती है।

1. रूपये 10,000/– (रुपये दस हजार) न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति है और बाद मे न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलायेगी।
2. ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम 10,000/– (दस हजार रूपये) और मौजा गजाधरपुर परगना–गढ़वारा, तहसील बदलापुर, जिला–जौनपुर मे स्थित आराजी नम्बर 300/–04 हि0, 301/–11 हि0, 299/–3.5 हि0, व 403/–03 हि0 कुल्ला 4 गाटा/–21.5 डिसमिल जमीन न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति है। जिसका नामांतरण हो चुका है, ट्रस्ट के नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर पूँजी लगाना या किसी क्षेत्र से प्राप्त की गयी धनराशि, इसके अतिरिक्त दान–दाताओं, एवं स्वयंसेवी संगठनों तथा किसी संस्था अथवा सोसाइटी द्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी।
3. न्यास/ट्रस्ट पर प्रोविजन इन्कमटैक्स ऐक्ट 1961 की सभी शर्तें लागू होंगी।
4. उपरोक्त ट्रस्ट/न्यास मे नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी/न्यासी बनाये गये है, ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति मे स्थायी ट्रस्टी/न्यासी है।

Scanned with CamScanner

4

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 498362

क्रमांक	ट्रस्टी	पद	व्यवसाय	पता
1.	श्री रतन बहादुर सिंह पुत्र स्व0 अभय राज सिंह	अध्यक्ष	कृषि	ग्राम–गजाधरपुर, पोस्ट–गद्दोपुर जिला– जौनपुर (उ0प्र0)
2.	श्री अजय सिंह पुत्र श्री रतन बहादुर सिंह	प्रबन्धक /सचिव	व्यापार	ग्राम–गजाधरपुर, पोस्ट–गद्दोपुर जिला– जौनपुर (उ0प्र0)
3.	श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री रतन बहादुर सिंह	कोषाध्यक्ष	व्यापार	ग्राम– गजाधरपुर पोस्ट– गद्दोपुर जिला– जौनपुर (उ0प्र0)
4	श्रीमती रितिका सिंह पत्नी श्री अजय सिंह	मुख्य ट्रस्टी	व्यापार	ग्राम– गजाधरपुर पोस्ट– गद्दोपुर जिला– जौनपुर (उ0प्र0)
5	श्री [illegible] कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम बहादुर सिंह	मुख्य ट्रस्टी	व्यापार	ग्राम – [illegible] पोस्ट– [illegible] जिला– जौनपुर (उ0प्र0)

5. ट्रस्ट/न्यास का नाम –संत देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ([illegible])

6. ट्रस्ट/न्यास का स्थाई पता – ग्राम– गजाधरपुर, पोस्ट– गद्दोपुर, परगना गड़वारा तहसील– बदलापुर जिला– जौनपुर (उत्तर प्रदेश)

7. ट्रस्ट/न्यास निर्माता/व्यवस्थापक – श्री अजय सिंह पुत्र श्री रतन बहादुर सिंह ग्राम–गजाधरपुर,पोस्ट–गद्दोपुर तहसील बदलापुर जिला– जौनपुर उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 498363

8.	ट्रस्ट/न्यास का कार्य क्षेत्र	—	सम्पूर्ण [redacted]
9.	न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति	—	श्री अजय [redacted] सचिव।
10.	व्यक्ति का नाम व पद न्यासधारी ट्रस्टी	—	[redacted] चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय- ग्राम- गजाधरपुर पोस्ट शाहदीपुर परगना गाजीपुर तहसील- फतेहपुर
11.	ट्रस्ट/न्यास का स्वरूप	—	यह ट्रस्ट/न्यास एक चैरिटेबल संस्था है जो धर्म, जाति, वर्ग सम्प्रदाय एवं राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेगी।
12.	लाभग्राही	—	हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त जाति धर्म के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव व सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगा और सभी को समान लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा तथा मानव विकास में सहायक प्राणियों, वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।
13.	फायदाग्राही व्यक्ति	—	ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रम के विकास लोक-कल्याण के लिए लगाया जायेगा।
14.	ट्रस्ट के उद्देश्य	—	1. सामाजिक विकास के लिए विशेषकर इन क्षेत्रों जैसे भारतवर्ष के पिछड़े और जरूरतमन्द बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों अपने उद्देश्यों के निहित

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 498364

[illegible] द्वारा मान्यता प्राप्त [illegible] की संचालन व्यवस्था एवं उसकी प्रबन्ध समितियों का गठन करना तथा प्रबन्ध समितियां संस्था संचालन करेगी।

2. [illegible] शिक्षा संस्थान गयासपुर, मड़ियाहूँ, जौनपुर जो सोसाइटी द्वारा संचालित है उसके अन्तर्गत संचालित प्राथमिक, जूनियर, उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालय संचालन की भी व्यवस्था इस ट्रस्ट के द्वारा की जाती है।

3. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय तथा प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, उच्च माध्यमिक, इण्टर एवं सी० बी० एस० सी० बोर्ड, आई०सी०एस०ई० बोर्ड, यू०पी० बोर्ड, महाविद्यालय अभियान्त्रिकी कालेज, प्राविधिक शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, इलेक्ट्रानिक सामाजिक शिक्षा केन्द्र, आवासीय विद्यालय, निराश्रित सेवा केन्द्र (अनाथालय) मूक बधिर, विकलांग छात्रावास, पशु अस्पताल, गौ सेवा सदन गौ शाला, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कृषि विज्ञान, शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना।

4. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर, महिलाओं, पुरुषों की शैक्षिक सामाजिक आर्थिक व स्वास्थ्य के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, नशा बन्दी निवारण, सामाजिक कुरीतियों, सम्प्रदायिकता निवारण, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का विकास, आकस्मिक दुर्घटना में सहायता, महिला उत्पीड़न का विरोध व उपेक्षित महिलाओं का संरक्षण अनाथ शिशुओं का संरक्षण व पोषण, परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CK 498365

5. समय-समय पर सेमिनार/गोष्ठी सेमिनार, अधिवेशन, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।
6. देश के होनहार प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञों एवं उत्कृष्ट सेवाओं में ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिए सामाजिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करेगा।
7. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन कार्यक्रम के संचालन के लिए जनता, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जिला प्रशासन, राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं सरकारों के एवं अधीन विभिन्न संस्थाओं व अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा, दान-अनुदान प्राप्त करेगा।
8. निराश्रित एवं असहायों की मदद करना, न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार हेतु न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान करना।
9. दलित एवं अति पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति एस सी./एस. टी. एण्ड ओ. बी. सी. के उत्थान के लिए कार्य करेगा।
10. समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, विकलांगों एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना तथा समाज में आदर्श संस्कृति समानता भाई चारा एवं सह अस्तित्व स्थापित करने के लिए कार्य करना।
11. समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करना एवं व्यक्तियों के सांस्कृतिक तथा चारित्रिक निर्माण के लिए प्रयास करना।
12. युवकों को मद्यपान एवं नशाखोरी के प्रभाव से निकाल कर पुनर्वास की व्यवस्था करना, तथा उन्हें स्व-रोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।
13. सभी को शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना।
14. सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था के लिए कार्य करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करना एवं इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए तथा विकासक कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा कृषकों को सब्जी एवं फल संरक्षण के लिए प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना। कृषि आधारित उद्योग के प्रचार प्रसार एवं स्थापना हेतु उपयुक्त कार्यों की परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

Scanned with CamScanner

18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EK 498366

16. प्राकृतिक आपदाओं जैसे– बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, दुर्घटना के समय पीड़ितों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराना। आपदा प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
17. मातृ शिशु कल्याण, जन संख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करना तथा प्रचार–प्रसार करना।
18. ग्राम स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकला सामग्रियों कढ़ाई–बुनाई, सिलाई कढ़ाई इत्यादि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
19. जैविक खेती सब्जी, फल एवं अनाज, का उत्पादन बढ़ाना एवं फसलों में रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न औषधि (कृषक मित्र) का प्रयोग करना रासायनिक विषाक्तता की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना।
20. गौ सेवा, संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में कृषि समितियों एवं जनसामान्य की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य करना।
21. स्वयंसेवी समितियों, कृषि समितियों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव–जन्तु कल्याण एवं अन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करना तथा संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
22. जगह–जगह पर वनौषधि उद्यानों की स्थापना करना तथा औषधियों (विशेषतः लुप्त प्राय) का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाना।
23. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार–प्रसार करना।
24. प्रदेश के विभिन्न भागों का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करना तथा न्यूज़ पत्र (समाचार–पत्र) सम्पादित करना।
25. खेल कूद पर्यटन योग, व लोकप्रिय लोक संस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार प्रसार एवं विकास करना।
26. विभिन्न प्रकार के सूचनाएं जैसे – सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करना तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

Scanned with CamScanner

9

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FK 498367

27. शासन स्तर पर से हो रहे ग्रामीण विकास एवं शैक्षिक उत्थान के प्रयासों का प्रचार-प्रसार करना एवं इस दिशा में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग करना।

28. अन्य सभी कार्य करना जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।

29. विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना जो इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करेंगी।

30. प्रतिबन्ध–

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद की मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ङ) संस्था में शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के बराबर अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा–शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के बराबर अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका अनुपालन करेगी।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FR 498368

(ज) विद्यालय का सिवाय निर्धारित प्रपत्र/प्रोफॉर्मा ... जायेगी- यदि हो तो प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें ... की विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 01-08 (क से ज) तक स्वीकार हैं।

15. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति-

ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में दस्तावेज में उल्लिखित पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे। इनमें से किसी का स्थान रिक्त होने पर पदाधिकारी/ मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी या उन की सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उन का स्थान ग्रहण करेंगे।

16. प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद-

ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष होंगे. ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव, ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे तथा सभी प्रकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य प्रबन्धक/सचिव के पद नाम से संचालित होंगे।

17. ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता

ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्न लिखित प्रकार से होगी-

1. संस्थापक ट्रस्टी-

श्री श्याम रतन बहादुर सिंह एवं संजय कुमार सिंह एवं अजय सिंह इस ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टी हैं जिन्हें अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। तीनों ट्रस्टी में से यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उनके उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे। ये तीनों आजीवन ट्रस्टी होंगे।

2. मुख्य ट्रस्टी /न्यासी- श्रीमती रितिका सिंह पत्नी श्री अजय सिंह व श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम बहादुर सिंह मुख्य ट्रस्टी होंगे। ये संस्थापक ट्रस्टी के कार्यों में सहयोग करेंगे तथा अपनी राय व्यक्त करेंगे। इनका स्थान रिक्त होने पर ट्रस्टी प्रबन्ध समिति की सहमति से उनके उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FK 498369

3. सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी–

जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को 3000/– (तीन हजार रुपये) [illegible] सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी होगा। [illegible] लिए संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

4. ट्रस्टी/न्यासी की सदस्यता समाप्ति–

पागल होने, दिवालिया होने मृत्यु होने पर या न्यायालय द्वारा सजा पाने पर या त्याग–पत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी। यदि ट्रस्टी/न्यासी सदस्य ट्रस्ट के विपरीत कार्य करने पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलंबित किये जा सकते हैं।

10 प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. चल–अचल सम्पत्ति को खरीदना–बेचना, रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना या किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उन को मनोनीत करना, नियुक्ति करना, निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त कराना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
4. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उप समितियों, संस्थाओं, व परियोजनाओं का पृथक–पृथक बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तन कराना।
5. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए या वाद–विवाद में पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जांच पड़ताल के लिए ट्रिब्यूनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
6. वार्षिक आय–व्यय का लेखा–जोखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
7. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।
8. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उप नियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना तथा परिवर्तित (संशोधित) करना।

Scanned with CamScanner

12

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FK 498370

9. प्रबन्धकारिणी समिति (ट्रस्टबोर्ड) सर्वाधिकार सम्पन्न [illegible] सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार समय–समय पर [illegible] किये जायेंगे।

19. <u>ट्रस्ट/न्यास प्रबन्धक/सचिव के कर्तव्य एवं अधिकार–</u>

ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धक/सचिव ही ट्रस्ट/न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। जो ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होंगे। न्यासकर्ता ही ट्रस्ट/ न्यास की प्रथम आजीवन ट्रस्टी न्यास के प्रबन्धक/सचिव होंगे। ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्धक/ सचिव अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी प्रबन्धक/ सचिव मनोनीत कर सकते हैं। ट्रस्ट/न्यास के किसी भी ट्रस्टी सदस्यों द्वारा ट्रस्ट/न्यास के प्रति असहयोग या पागल होने पर दिवालिया होने, मृत्यु होने, न्यायालय द्वारा सजा पाने पर ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता से मुक्त कर सकते हैं। ट्रस्ट/ न्यास का समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य प्रबन्धक/ सचिव द्वारा सम्पादित होगा। एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। किसी ट्रस्टी/न्यासी की पूर्ति के लिए मनोनयन करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, वेतन वृद्धि करना, एवं बहाली करना, ट्रस्ट/न्यास के समस्त वैधानिक कागजातों एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, एवं ट्रस्ट/न्यास की चल–अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित करना, बेचना, बैंक खातों का संचालन करना एवं ट्रस्ट/न्यास के प्रबन्ध कार्यकारिणी के समस्त प्रस्तावों को कार्य रूप में प्रस्तावित करना।

20. <u>मुख्य ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

मुख्य ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी समिति में एजेण्डा के अनुसार अपने विचार रखेंगे और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति की मदद करेंगे। प्रबन्धकारिणी समिति आम सहमति से मुख्य ट्रस्टियों की संख्या घटा व बढ़ा सकती है।

21. <u>सहयोगी ट्रस्टी–</u>

ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की समिति, उप समितियों, एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जायेंगे और वे सौंपे गये दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

22. <u>ट्रस्ट/न्यास के सामान्य नियम–</u>

1. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में तीन सदस्य होंगे, जिनमें ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष, ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव पदाधिकारी होंगे जो ट्रस्ट/न्यास के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। ट्रस्टी प्रबन्धक/ सचिव ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FK 498321

2. ट्रस्ट/न्यास की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व अन्त में ट्रस्टी अध्यक्ष एवं ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर होंगे।
3. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्यतः एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रसारित माध्यम द्वारा दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घण्टे में बुलायी जा सकती है।
4. ट्रस्ट/न्यास में ट्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 तक होगी।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रकाशित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसको समिति में रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है।
6. निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
7. ट्रस्ट/न्यास का वार्षिक अधिवेशन एवं समय पर आहूत करना प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के निर्देशों पर होगा।

23. ट्रस्ट/न्यास के दस्तावेजों में संशोधन-

ट्रस्ट/न्यास यदि यह महसूस करता है कि इसके दस्तावेज के किसी धारा में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक है तो वह संस्थापक सदस्यों की अनुमति से कर सकता है।

24. ट्रस्ट/न्यास का कोष-

ट्रस्ट/न्यास अपने किसी निधि या अपने अधीनस्थ किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता खोल सकता है तथा कोई भी धन प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष में से किसी एक के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा। आवश्यकतानुसार उन खातों में परिवर्तन कर सकता है एवं पदनामित पदाधिकारी का नाम परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट/न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित करना होगा।

25. विवादित स्थिति पर निर्णय-

ट्रस्ट/न्यास में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेजों के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FX 498372

प्रबन्धक/ सचिव, ट्रस्ट की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के ... कर्मचारियों को बर्खास्त कर सकेंगे और ट्रस्ट/ न्यास की समस्त चल-अचल ... सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऐसी परिस्थिति में अन्तिम प्रबन्धकार्यकारिणी समिति एवं प्रबन्धक/ सचिव का निर्णय मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी ट्रस्टी अथवा किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता है। यह ट्रस्ट / न्यास तथा उसकी संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

26. <u>ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड व अभिलेख–</u>

सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर कैशबुक, लेजर, वाउचर फाइल, पत्रव्यवहार फाइल, रसीद बही, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

27. <u>अनुशासनात्मक कार्यवाही–</u>

ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधीनस्थ किसी संस्था समिति के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति करेगी।

28. <u>वाद-विवाद (प्रतिवाद)</u>–

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवाद का न्यायक्षेत्र जिला- जौनपुर (उत्तर प्रदेश) रहेगा तथा ट्रस्ट/न्यास पर दूसरों द्वारा दायर वाद-विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद प्रतिवाद की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

29. <u>परियोजनाओं को संचालन में ट्रस्ट/न्यास की व्यापकता–</u>

ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं और परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है, जो कि भारत के किसी प्रान्त, जिले, तहसील व ग्रामों में चलाई जायेगी।

30. <u>पदों का सृजन–</u>

ट्रस्ट/न्यास आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है। तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकता है।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AA 122826

राज्य/भारत का विस्तार- ... रजिस्टर्ड ट्रस्ट अपने कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

३२. लेखा–जोखा (आडिट)–
आर्थिक वर्ष के उपरान्त न्यास/ट्रस्ट अपने लेखा–जोखा को चुस्त–दुरुस्त और उसकी आडिट भी करायेगा, आवश्यकता पड़ने पर अपने खर्चे से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी०ए०) की मदद भी ले सकता है।

तहरीर तारीख 14-5-2020

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट जौनपुर

(अजय सिंह)
पुत्र श्री राम बहादुर सिंह
ग्राम–गजाधरपुर, पोस्ट–गद्दोपुर
परगना–गड़वारा, तहसील–बदलापुर
जिला–जौनपुर उ०प्र०
दिनांक–

गवाह–
1. राम बहादुर सिंह पुत्र स्व० ... सिंह निवासी गजाधरपुर पो० गद्दोपुर परगना गड़वारा जौनपुर

2. कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय हृदयनारायण सिंह ग्रा० बसहरा कला पो० गद्दोपुर त० बदलापुर जौनपुर

Scanned with CamScanner

451 13-5-20 R.S.

-438

कोषागार, जौनपुर

SENIOR TREASURY OFFICER

आवेदन सं०: 202000982001424

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 25 के पृष्ठ 105 से 134 तक क्रमांक 13 पर दिनांक 14/05/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रमोद कुमार सिंह

उप निबंधक : बदलापुर

जौनपुर

14/05/2020

Scanned with CamScanner